राजस्थान सरकार

कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, राजसमन्द

office of the Senior Geologist, Mines and Geology Department, Khanij Bhawan, Rajsamand

Tel NO.- 02952-221634, email- sg.rajsamand@rajasthan.gov.in

क्रमांक : वभूवै/राज/ तक./निविदा/आ.सो./2024/–00019/ दिनांक :

निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देशं :–

1. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता द्वारा सावधानी पूर्वक निविदा दस्तावेज, खुली निविदा सूचना, कार्य की सेवा प्रदायगी की सामान्य शर्ते एवं निर्देश, निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश, घोषणा पत्र, अनुबंध A,B,C,D व बित्तीय निविदा प्रपत्र को प्राप्त व अध्ययन कर निविदाऐं प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. समस्त निविदा कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के अन्तर्गत की जा रही है । अतः इनके प्रावधान प्रभावी रहेगें ।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी। यदि उपरोक्त मे से कोई नियम बोलीदाता पर लागु नही होता है तो इस आशय का अंडरटेकिंग कारण सहित संलग्न करना होगा।
4. निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, अन्यथा अस्वीकार कर दी जावेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 14.10.2024 समय दोपहर 1.00 बजे तक इस कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक राजसमन्द में उपस्थित होकर 250/–रू0 निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा प्रपत्र जिस नाम से जारी किये जायेंगें उसी के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकेंगें। निविदा विभागीय वेबसाईट https://mines.rajasthan.gov.in व https://sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए निविदा शुल्क हेतु राशि रु0 250 का डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक, "(Senior Geologist Rajsamand)" के नाम से payable at Rajsamand देय, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
5. निविदायें दिनांक 15.10.2024 समय दोपहर 1.00 तक बजे तक कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक राजसमन्द में जमा करवायी जा सकेगी। डाक/कुरियर से प्रेषित निविदाऐं भी दिनांक 15.10.2024 समय दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक राजसमन्द में प्राप्त होनी आवश्यक है। देरी से प्राप्त निविदाओं पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा। निविदायें दिनांक 15.10.2024 समय दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कक्ष में खोली जावेगी।
6. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त किये जाने/खोले जाने की दिनांक को अवकाश रहता है तो निविदा प्राप्त किये जाने/खोले जाने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस को होगी।
7. निविदा फार्म सही तरीके से प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करते हुये भरा जाये किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाये। ओवरराईटिंग होने पर लधु हस्ताक्षर करें। निविदायें अंक और शब्दों दोनों में भरनी अनिवार्य हैं। अपूर्ण निविदा तथा सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा प्रपत्र स्याही या टाईप से भरा जावें। पेन्सील से भरा हुआ निविदा प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा की शर्तो की स्वीकृति के

रूप में निविदादाता को निविदा फॉर्म एवं उसके साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज के प्रत्येक पृश्ठ पर एवं निविदा के अन्त में हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

8. निविदादाता को निविदि शुल्क राशि रूपये 250/- (यदि निविदा वेबसाईट से डाउनलोड़ की गयी हो) तथा बिड़ सिक्युरिटी राशि रूपये 10000/- का डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होंगा। राजस्थान के लघु उद्योगो के मामलो में यह विषय वस्तु के अनुमानित मूल्य का 0.5 प्रतिशत होगा और लघु उद्योगों के अलावा बीमार उद्योग के मामलों में जिनके प्रकरण औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के पास लम्बित है यह 1 प्रतिशत होगा।
   I. डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक, "(Senior Geologist Rajsamand)" के नाम payable at Rajsamand देय होंगे।
   II. केन्द्रीय सरकार व राजस्थान सरकार के उपकम को बिड़ सिक्युरिटी जमा नही करनी होगी। इसके स्थान पर बिड़ सिक्युरिटी डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा।
   III. निविदा शुल्क नॉन रिफन्डेबल होगा।
   IV. निम्नलिखित मामलों में बिड सिकुरिटी जब्त कर ली जाएगी
   जब निविदाकर्ता निविदा खोलने के बाद लेकिन निविदा की स्वीकृति से पहले निविदा को वापस ले लेता है या संशोधित करता है।
   जब निविदाकर्ता निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित अनुबंध यदि निष्पादित नहीं करता है।
   जब निविदाकर्ता आपूर्ति आदेश दिए जाने के बाद परफोरमेन्स सिकुरिटी जमा नहीं करता है।
   जब निविदाकर्ता निर्धारित समय के भीतर आदेश के अनुसार सेवा प्रदायगी शुरू करने में विफल रहता है।

9. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने की तिथी से 7 दिन में रु0 500/-के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट करना होगा एवं कार्यादेश में अंकित राशि की 5 % राशि परफोर्मेन्स सिक्युरिटी के रूप में जमा करानी होगी। यदि परफोरमेन्स सिक्युरिटी की राशि में कोई संशोधन होता है तो सफल निविदादाता को नियमानुसार संशोधित राशि जमा करानी होगी। एग्रीमेन्ट से सम्बन्धित समस्त व्यय का वहन निविदादाता को ही करना होगा। परफोर्मेन्स सिक्युरिटी, "(Senior Geologist Rajsamand)" के नाम से payable at Rajsamand देय जमा करानी होगी। परफोर्मेन्स सिक्युरिटी 1 वर्ष हेतु जमा करानी होगी।

10. परफोरमेन्स सिक्युरिटी निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगीः-
   (क) "ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा;
   (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
   (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
   (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
   (ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

- बिड सिक्योरिटी को परफोरमेन्स सिक्योरिटी के विरुद्ध समायोजित किया जा सकेगा। परफोरमेन्स सिक्योरिटी पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

11. निम्नलिखित मामलों में पूर्ण या आंशिक रूप से परफोरमेन्स सिक्युरिटी राशि जब्त की जा सकती है :–
जब निविदा/अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तो का उल्लंघन किया जाता है।
जब निविदाकर्ता पूरी सेवाएं संतोषजनक ढंग से करने में विफल रहता है।
12. समस्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन होगी। श्रमिकों के कार्य स्थल तक आने जाने के लिये किसी प्रकार का गाड़ी भाड़ा/यातायात प्रभार देय नहीं होगा।
13. निविदादाता द्वारा कोट की गई दरें निविदा खोलने की दिनांक से 3 माह तक वैध होगी।
14. सफल निविदादाता द्वारा कीमतें, कीमत गिरने के क्लॉस के अधीन होगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को भी इस कार्य हेतु कम दरें कोट की जाती है अथवा दरें कम की जाती है तो कीमत कोट करने या कम करने की तारीख से इस दर संविदा में कोट की गई दरें स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
15. निविदाकार अपनी निविदा अथवा सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और ना किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
16. कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा कार्य की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में प्रदाय की संविदा को किसी भी समय निराकृत (रेप्युडिएट) किया जा सकता है।
17. यदि कार्यालयाध्यक्ष कार्य का कोई आदेश देता है अथवा कार्य की मात्रा कम करने का आदेश देता है तो अनुमोदित निविदाकार किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
18. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष Canvassing करना अयोग्यता होगी।
19. न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिये विभाग बाध्य नहीं है एवं प्राप्त निविदा को अथवा उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है ।
20. सफल निविदादाता को कार्यादेश एवं हस्ताक्षरित अनुबंध अनुसार कार्य/सेवा को पूर्ण करना होगा। बोलीदाता कार्य का विवरण अनुसार किये जाने वाले कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये या कार्य संबंधी या निविदा प्रकिया संबंधी कोई संदेह हो दिनांक 14.10.2024 तक कार्यालय समय में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
21. कार्य/सेवा हेतु भुगतान कार्य की संतोषप्रद रिर्पोट प्राप्त होने के उपरान्त तथा निविदा दस्तावेज के PART-B – निविदा के नियम एवं शर्ते में वर्णित शर्तों के अनुसार किया जायेगा। भुगतान के समय नियमानुसार स्त्रोतों पर कर कटौती एवं GST की कटौती के प्रावधान लागू होंगे।
22. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही किसी प्रकार का ब्याज दिया जायेगा।
23. भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु किसी भी प्रकार का ब्याज विभाग के द्वारा देय नहीं होगा।
24. निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगेः–

I. GST नम्बर व GST पंजीकरण प्रमाण पत्र।
II. घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में)
III. निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित संपूर्ण निविदा दस्तावेज वर्णित शर्तो नियमों एवं निर्देशो में उनकी स्वीकृति के रूप में; यथा हस्ताक्षरित खुली निविदा सूचना, निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश, कार्य की सेवा प्रदायगी की सामान्य शर्ते एवं निर्देश, अनुबंध A.B.C.D व वित्तीय निविदा प्रपत्र।
IV. स्वयं सत्यापित PAN कार्ड की कॉपी।

V. बिड दस्तावेज के पार्ट बी – निविदा एवं शर्तें में वर्णित दस्तावेज।

VI. अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो।

25. कार्यालय में बोलीदाता द्वारा नियुक्त कर्मचारी की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। यदि कार्य/सेवा के दौरान किसी भी नुकसान, क्षति, दुर्घटना के लिए समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

26. कार्यालय में एवं परियोजनाओं पर सुचारू रूप से कार्य सम्पादन की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। कार्य के दौरान आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी स्वंय निविदादाता की होगी विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

27. कार्यालय में एवं परियोजनाओं पर कार्य हेतु निविदादाता द्वारा लगाये गये कर्मचारी की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाता अपने लगाये हुए कर्मचारी का आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि से किसी भी नुकसान या क्षति, के लिये बीमा करा सकता है एवं बीमा का सारा खर्च स्वयं निविदादाता को वहन करना होगा। विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

28. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजमसन्द के पास कार्य के सम्पादन के लिए नियमों और शर्तो को बदलने, सही करने व संशोधित करने का अधिकार होगा।

29. कार्य की अवधि अनुबंध सम्पादित एवं हस्ताक्षरित होने की तिथि से 31.03.2025 तक के लिए मान्य होगी। विभाग की आवश्यकतानुसार कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

30. सफल फर्म द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा एवं इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

31. कोई भी विधिक विवाद होने पर सक्षम न्यायालय राजसमन्द में ही वाद दायर किया जा सकता है।

32. वित्त विभाग के परिपत्र 3/2013, दिनांक 4.02.2013 के अनुसार संलग्नक A,B,C,D निविदा तथा अनुबंध का हिस्सा होगें। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के सभी नियम निविदा पर प्रभावी माने जायेगे।

(सी.बी.पुर्बिया)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
राजसमन्द

घोषणा

मैं/ हम घोषणा करते हैं कि निविदा में की गयी प्रविष्टियां मेरे हमारे ज्ञान और विश्वास में सही हैं। मैं /हम यह भी पुष्टि करते हैं कि मैंने /हमने इस निविदा दस्तावेज में निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इसकी पालना करने के लिए सहमत हैं।

मैं / हम यह मानते हैं कि उपरोक्त तथ्यों / सूचनाओं को झूठा पाया गया **वरिष्ठ भूवैज्ञानिक राजसमन्द** अपने पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी असाइनमेंट को अस्वीकार / रद्द कर सकता है और इस तरह के मामले में मैं /हम उस असाइनमेंट के संबंध में किसी भी नुकसान / दावा करने के हकदार नहीं होंगे ।

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान सरकार

कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, राजसमन्द

office of the Senior Geologist, Mines and Geology Department, Khanij Bhawan, Rajsamand

Tel NO.- 02952-221634, email- sg.rajsamand@rajasthan.gov.in

कार्य की सेवा प्रदायगी की सामान्य शर्ते एवं निर्देश

1. निविदादाता निविदा भरने से पहले निविदा प्रपत्र एवं शर्ते व निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ लें।
2. निविदा मासिक व्यय के आधार पर दिनांक 31.03.2025 तक के लिए की जानी है । निविदादाता को मासिक बिल आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत करने होंगे। बिलों का भुगतान फिल्ड अधिकारी द्वारा कार्य की संतोषप्रद रिपोर्ट उपरान्त किया जायेगा।
3. कार्य की सेवा प्रदायगी संबंधी कोई भी शिकायत कार्यालय के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को की जा सकेगी, जो शिकायत का सत्यापन करा संवेदक को उसके निवारण के लिए निर्देशित करेंगें। यदि संवेदक द्वारा उक्तानुसार दिये गये निर्देशो की पालना 24 घंटे के भीतर नहीं की जाती है तो कर्मचारी/अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यालयाध्यक्ष के निर्देश पर शिकायत अवधि में प्रतिदिन रू.1000/- की दर से जुर्माना राशि संवेदक के देय बिलो से वसूल की जाएगी। उक्तानुसार सेवा प्रदायगी अवधि में चार से अधिक बार शिकायत निवारण में विफल रहने पर 15 दिन का नोटिस देकर नियमानुसार प्रतिभूति जब्त करते हुए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा ।
4. यह कार्य की सेवा प्रदायगी अनुबंध है, कार्य निविदा अनुसार नहीं करने या अधूरा छोड़ने/बन्द करने की दशा में वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजसमन्द को पूर्ण अधिकार होगा कि वह संवेदक/फर्म के हर्जे खर्चे पर उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से करवा सकता है और उसमें हुआ अतिरिक्त व्यय संवेदक से वसूल किया जायेगा।
5. यदि संवेदक स्वयं या उनके कर्मचारी कार्य के दौरान संस्थान की चल अचल सम्पति का कोई भी नुकसान करता हैं तो उसकी वसूली संवेदक के बिल/प्रतिभूति राशि से की जावेगी। नुकसान का आंकलन विभाग स्तर पर कराया जायेगा जो कि संवेदक को मान्य होगा। संवेदक/फर्म के किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य में व्यवधान डालने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर अथवा अनपेक्षित आचरण करने पर यदि प्रशासन उस को हटाने का निर्देश देता हैं तो संवेदक/फर्म को उस कर्मचारी को तुरन्त हटाना होगा।
6. संवेदक/फर्म को उनके अधीन कार्यरत श्रमिकों का चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन), श्रम विभाग द्वारा निर्धारित परिपत्रों में सूचना एवं अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संवेदक/फर्म की होगी तथा किसी भी अधिकारी/विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
7. पागल, बालक (18 वर्ष से कम) एवं विकलांग श्रमिकों की सेवायें स्वीकार नहीं की जावेगी। कार्य स्थल पर श्रमिकों को स्वंय के साधन से पहुंचना होगा।
8. अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि श्रमिक/श्रमिकों द्वारा कोई न्यायिक प्रकरण/लिटिगेशन दायर किया जाता है तो उसके लिये अनुमोदित निविदाकार पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगा।
9. श्रमिक हितों के संरक्षण का एक मात्र दायित्व अनुमोदित निविदाकार का रहेगा। श्रम कल्याण के लिये अपेक्षित सुविधायें अनुमोदित निविदाकार द्वार उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में विभाग को श्रमिकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. अनुबन्ध द्वारा आउट सोर्सिंग से कराये जाने वाले कार्य हेतु अनुमोदित निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों द्वारा उठायी गई किसी प्रकार की शिकायत को सुनने के लिये विभाग बाध्य नहीं है।

11. दुर्घटना या अन्य किसी आकस्मिकता के घटने की स्थिति में अनुमोदित निविदाकार का उत्तरदायित्व होगा।
12. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा चोरी या सरकारी सम्पति का नुकसान किये जाने पर उसकी वसूली अनुमोदित निविदाकार से की जावेगी।
13. यदि निविदाकार ऐसी शर्त लगाता है जो यहां उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त है अथवा इनके विपरित है तो उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है। किसी स्थिति में ऐसी कोई शर्त स्वीकृत हुई नहीं समझी जावेगी, जब तक इसकी लिखित स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी नहीं कर दी जाती है।
14. किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह न्यूनतम निविदा ही हो। कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने अथवा एक या एक से अधिक निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
15. अनुमोदित निविदाकार को सम्पादित किये जाने वाले कार्य के भुगतान बिल प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान विभागीय अनुमति प्राप्त होने तथा कोष कार्यालय से आहरित होने पर किया जायेगा। विलम्ब का ब्याज देय नहीं होगा। यदि अनुमोदित निविदाकार प्रतिमाह बिल प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी परफोरमेन्स सिक्योरिटी जब्त कर स्वीकृति निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को ठेका देने के लिये कार्यालयाध्यक्ष स्वंत्रंत होगा।
16. यदि संविदा के निर्वचन, अर्थान्यन एवं संविदा की शर्तों के भंग संबंधी कोई वाद उत्पन्न होता है तो सविंदा के पक्षकारों द्वारा प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने वरिष्ठ अधिकारी को एकमात्र आर्बिट्रटर (पंच) के रुप में नियुक्त करेगा, जो मामलों के बाद अपना जो भी निर्णय देगा वह निर्णय अंतिम होगा।
17. समस्त कार्य आउट सोर्सिंग के आधार पर रेप्सर एक्ट को ध्यान में रखते हुए करना होगा।
18. किसी भी पक्ष (सरकार एवं संविदाकार) द्वारा कानूनी कार्यवाही संस्थित किये जाने की स्थिति में न्यायालय का क्षैत्राधिकार राजसमन्द ही होगा।
19. निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा।
20. करों की कटौति नियमानुसार बिल, इत्यादि से की जावेगी।
21. किसी प्रकार के देय कर निविदादाता द्वारा ही अपने स्तर से जमा कराने होंगें ।
22. इण्डियन लेबर कान्ट्रेक्टर (Regulation and Abolition Act 1970) एवं इनके अन्तर्गत बने नियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अद्यतन प्रावधानों की पालना करने के लिये अनुबन्धकर्ता बाध्य होगा।
23. आउट सोर्सिंग पर कार्य राजसमन्द जिले में विभाग द्वारा खनिज पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण संबधी कार्य हेतु किया जावेगा तथा आउटसोर्सिंग से श्रमिक लगाने हेतु अनुमोदित निविदाकार द्वारा सीधे रूप से विभाग को किन्हीं व्यक्तियों की सेवायें नहीं दी जावेगी, न ही किन्हीं व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जावेगा।

(सी.बी.पुर्बिया)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
राजसमन्द

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, राजसमन्द
office of the Senior Geologist, Mines and Geology Department, Khanij Bhawan, Rajsamand
Tel NO.- 02952-221634, email- sg.rajsamand@rajasthan.gov.in

PART-B

निविदा के नियम एवं शर्ते

1— कार्य कार्यादेशानुसार एवं निविदादाता द्वारा किये गये अनुबन्ध के अनुसार ही होगा ।

2— बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगाः—

क. स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा निधि अधिनियम,1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (PAN)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोटः— यदि उपरोक्त मे से कोई नियम बोलीदाता पर लागु नही होता है तो इस आशय का अंडरटेकिंग कारण सहित संलग्न करना होगा।

4— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधनों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा ।

5— राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

6— बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बधित बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण विभाग को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत् विभाग की संतुष्टि होने पर ही बोलीदाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

7— श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं बिन्दु सं. 3 एवं 4 के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता/संवेदक का होगा।

8– श्रमिकों को निर्धारित न्युनतम मजदुरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर विभाग द्वारा संवेदक को बढी हुई न्युनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

9– बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिससे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

10– संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे,जिन पर संवेदक/बोलीदाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्युनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

11– राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

12– संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होंगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

13– श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

14– यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

15– नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

16– कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई. एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्धटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

17– यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त होती है तो विभाग इस संबंध में श्रम विभाग को सूचित करेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगा।

(सी.बी.पुर्बिया)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
राजसमन्द

(व.भू.वै.)

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, खनिज भवन, राजसमन्द
office of the Senior Geologist, Mines and Geology Department, Khanij Bhawan, Rajsamand
Tel NO.- 02952-221634, email- sg.rajsamand@rajasthan.gov.in

निविदा प्रपत्र

1. कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, राजसमन्द के अधीन संचालित खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण परियोजनाओं में आऊटसोर्सिंग पर करवाये जाने वाले कार्यो की सेवा प्रदायगी
   खुली बोली सूचना संख्या ...... /2024–25
2. निविदादाता का नाम, पता व कोन्टेक्ट नं0 मैसर्स.. ....
   ....
   ....
3. निविदा शुल्क है या — नकद रसीद संख्या .... दिनांक........................... राशि रु. 250/– जमा करा दिये गये
   डी.डी. कमांक .... दिनांक .... राशि रु. 250/– ....
   (बैंक का नाम) संलग्न है।
4. बिड़ सिक्युरिटी — डी.डी. कमांक ...., दिनांक .... राशि रु. 10000/– ....
(बैंक का नाम) संलग्न है।

मैं/हम निविदाकार निम्नानुसार निविदा दरें प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

क्र0 सं0	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रति माह (रु में)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति प्रति माह दर (रु में) (कॉलम 4 में अंकित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो)	EPF दर 13 % (कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का 13%) (रु में)	ESI दर 3.25 % (कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का 3.25%) (रु में)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (रु में)	कुल राशि (रु में) (5+6+7+8)	कुल राशि शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विभागीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, खनिजों के डेलिनियेशन सबंधी कार्य, एम.एल./पी.एल./सी.एल. क्षैत्रों पर आवश्यक कार्य यथा सेम्पलिंग (सेम्पल कलेक्शन एवं सेम्पल प्रिपरेशन) का कार्य, सर्वे से सबंधित कार्य, सर्वे उपकरणों इत्यादि की सुरक्षा एव रखरखाव का कार्य, परियोजना पर पिटिंग/ट्रेन्चिग कार्य, केम्प संचालन सबंधी, चौकीदारी एवं निर्देशानुसार अन्य सम्बन्धित कार्यो को आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यो की सेवा प्रदायगी	अकुशल–8	7410/–						

संवेदक कॉलम सं. 5 में प्रति व्यक्ति प्रति माह मजदूरी कोट करेगा व तदनुसार कॉलम 6 व 7 की पूर्ति करेगा। कॉलम सं. 8 में सेवा प्रदाता अपना सर्विस चार्ज प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अंकित करेगा। इस प्रकार कॉलम संख्या 5 से 8 का योग कॉलम संख्या 9 में अंको में व कॉलम संख्या 10 में शब्दो में अंकित करेगा। न्यूनतम बोली का निर्धारण कॉलम 9 व 10 में अंकित कुल राशि के आधार पर किया जाएगा।

1. मै/हम निविदाकार ने वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, राजसमन्द द्वारा जारी खुली बोली निविदा सूचना कमांक. .... दिनांक .... एवं इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज, शर्तो का अध्ययन, अवलोकन एवं मनन कर लिया है और समस्त शर्तो से सहमत हुं एवं इन शर्तो की स्वीकृति के क्रम में निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
2. मेरे /हमारे द्वारा उक्त दरें सम्पूर्ण बिड़ डॉक्युमेन्ट पढने के बाद ही कोट की गई है तथा निविदा के अनुसार समस्त दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं।
3. प्रस्तावित दरें अनुबन्ध की दिनांक से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए प्रभावी होगी। विभाग द्वारा अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार बढाई जा सकेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
नामः
मोबाईल नम्बर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common, or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc I / 9

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated... .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is SUPTDG. GEOLOGIST (TRIBAL) CIRCLE UDAIPUR
The designation and address of the Second Appellate Authority is ADD. DIRECTOR GEOLOGY ZONE, UDAIPUR

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

  (i) hear all the parties to appeal present before him; and

  (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc I

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.